

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail - eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 2573/38सी.

दिनांक रानीखेत अक्टूबर 25/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में पीपनाकोना रणकुना गोहाली मोटर मार्ग।
(प्रस्ताव संख्या-10541/2015)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक मैमो/12-1(2) दिनांक 04.08.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 04.08.2016 को प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Short narrative of the project is not providing adequate information regarding project in Part-I.	Short narrative of the project providing adequate information regarding project in Part-I is uploaded. (Online Para A-1)iii))
2.	Total period for which the land proposed to be diverted is not filled in online Part-I.	The total period for which forest land diversion is required is mentioned in At A 1 (x) Part I.
3.	Authority letter is not issued in favour of applicant Mr. K.L. Verma in online Part-I.	Authority Letter is uploaded in Part I A-3. (xvii)
4.	The total of village wise break up comes 4.05 ha instead of 4.185 ha forest land proposed for diversion.	The total of village wise break up is corrected & comes 4.185 ha forest land proposed for diversion at Part-I B(2.3)
5.	Component wise break up is not provided in online Part-I. The component wise break up should include area marked for various component viz. road, bridge, muck disposal etc.	Component wise break up of proposed road including road bridge & muck disposal given in Part I B-2.4
6.	Proceeding of village level committee (VLC) meeting pertaining to all village may also be furnished with the FRA certificate as the VLC proceeding is provided only for one village in Part I, though as per village wise break up the proposal involved area of 6 villages.	Proceeding of village level committee (VLC) meeting pertaining to all village furnished with the FRA certificate & the VLC proceeding is provided for all villages in Part I.
7.	The village level committee and sub divisional level committee proceedings are undated. The State Govt may mentioned the procedurally correct date and upload the same in online Part I.	The dates are mentioned in village level committee and sub divisional level committee proceedings in online Part-I.

Cont. on page 2

8.	The State Govt has provided/upload the scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map without showing geo coordinates to the exact scale of the proposed road of all turns and at 200-300m distance. The State Govt may provide/upload the correct map showing geo coordinates at 200 to 300m interval along the alignment including all turning points and ensure the uploading of correct revised map in online Part I.	Map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale is uploaded in Part-I C(iv)
9.	The geo referenced digital map of area proposed for CA uploaded is not acceptable for the purpose. The State Govt may provide/upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file.	GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file uploaded.
10.	As per Decision Support System (DSS) analysis, out the total area of 8.37 ha proposed for CA, 5 ha is on moderately dense forest. State Govt may replace this 5 ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, Sol toposheet map and KML file of the complete 8.37 ha CA area again after making the above change.	As per Decision Support System (DSS) analysis, out the total area of 8.37 ha proposed for CA, 5 ha is not dense forest. It is only dense bushes at proposed area. Hence there is no need to replace the proposed area. If necessary the certificate for the same may be provided from competent authority.
11.	The area of CA is mentioned 4.50 ha in online Part I instead of 8.37 or 8.50 ha as per the CA scheme uploaded in online Part II.	The area of CA is corrected & is 8.37 as per the CA scheme uploaded in online Part II.


 अधिराष्टी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत

TO WHOM MAY CONCERN

Letter No. 255/1052

Dated 13/01/2016

Mr. Kundan Lal Verma, Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Ranikhet(Almora) is being authorized to make online submission of the Forest Land Transfer Proposal under the jurisdiction of Provincial Division, P.W.D., Ranikhet.


Superintending Engineer,
1st Circle, P.W.D.,
Almora

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- जनपद झुमोश में पीपना कोठा - राठकुना -
जोहाली मोरर बार्गी

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोठा
तहसील सोर, जिला झुमोश

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद झुमोश के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना
के निर्माण हेतु (✓ हे0 आरक्षित वन भूमि, ✓ हे0 सिविल सोयम भूमि 10.5
वन पंचायत भूमि 3.780 हे0) अर्थात् कुल 4.185 हे0 वन भूमि का
लो० नि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोठा द्वारा दिनांक 15.2.15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम कोठा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लो० नि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव/अधिकारी
नाम प० श्री० प्रदीप चौरा
दि० ख० सिद्ध (अल्मोड़ा)

ह0/-
ग्राम प्रधान
श्री०
प्रधान

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 15.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - कोरा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	माना सिंह	माना सिंह
2-	कुमर सिंह	कुमर सिंह
3-	बाला सिंह	बाला सिंह
4-	विश्व सिंह	विश्व सिंह
5-	गोपी देवी	गोपी देवी
6-		
7-	मंजरी देवी	मंजरी देवी
8-	राधा कृष्ण	राधा कृष्ण
9-		
10-		
11-		
12-	रंजनी देवी	रंजनी देवी
13-	संजनी देवी	संजनी देवी
14-	भगवत सिंह	भगवत सिंह

ह0/-

ग्राम प्रधान

माना सिंह

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, कोरा, जिला...

परियोजना का नाम :-

जनपद-बल्लोडा से पीपना-कोला-राकुना-गोहाली
के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र 3

ग्राम पंचायत का नाम मेरौली पटियाचौरा बेलवा
तहसील राकुना जिला बल्लोडा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

सततारक्षण में जनपद बल्लोडा के अन्तर्गत उपखण्ड परियोजना के निर्माण हेतु
है। आरक्षित वन भूमि — है। सिविल सोवम भूमि 0.485 है। वन पंचायत भूमि 3.780 है। अर्थात् कुल 4.185
है। वन भूमि का बो. निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोला-राकुना द्वारा दिनांक 19.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्विकृत किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मेरौली पटियाचौरा/बेलवा
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि — प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिवे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

वन सचिव

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुखर सिंह

ज.सु.ली.वि.वी.
25/11/2015
बिनाली

राकुना

ग्राम पंचायत अध्यक्ष
अधिका. 11-12-2015

गोविन्द सिंह
प्रधान

गोविन्द सिंह अधिकारी
ग्राम पंच. पटियाचौरा विन्डो संल

पुष्पेश्वर
सरपंच

बल्लोडा बल्लोडा 18/02/2015

मो.सि.मि.म.

दिनांक 19.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ...पटियाचौरा/रामपुर/भोजनी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मंगलसिंह विष्ट	
2	गोविन्द सिंह	
3	कुमर सिंह	
4	नरसिंह	
5	नन्दन सिंह	
6	आनन्द सिंह	
7	सोम सिंह	

ग्राम प्रधान / सरपंच

रामपुर
ग्राम प्रधान
पटियाचौरा/रामपुर/भोजनी

गोविन्द सिंह
ग्राम पंच पटियाचौरा

सरपंच
पटियाचौरा/रामपुर/भोजनी

परियोजना का नाम -

जनपद- कुल्होटी में पीछना कोला- रणकुना मोटर
घाट

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बिनेली
तहसील साठ जिला कच्छ
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद कुल्होटी के अन्तर्गत पीछना कोला- रणकुना- गेहली परियोजना के निर्माण हेतु
हे० अर्जित वन भूमि — हे० विहित सौम्य भूमि 0.485 हे० वन पंचायत भूमि 3.780 हे० अर्थात् कुल 4.185
हे० वन भूमि का बो- निर्धारण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बिनेली द्वारा दिनांक 17.2.15 को सम्मेलन ग्राम समा / ग्राम पंचायत की बैठक
में प्रयोज्य एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिनेली, रणकुना के
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि बो-नि-वि प्रयोज्य एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिरे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

प्रधान

ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित

गोविन्द सिंह अधिकारी
ग्राम पंचायत बिनेली, कच्छ

पुष्पेन्द्र
सरपंच

जनपद- कुल्होटी (अनापत्ति प्रमाण पत्र)

मोटा

रुक्मिणी देवी
ग्राम प्रधान
बिनेली

दिपालसिंह

ग्राम पंचायत बिनेली
कच्छ-मे. 2 (अनापत्ति)

दिनांक 17.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत फिरोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	केशव दल	केशव दल
(2)	विश्व दल	विश्व दल
(3)	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
(4)	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
(5)	दीप सिंह	दीप सिंह
(6)	राज सिंह	राज सिंह

ग्राम प्रधान / सरपंच


प्रधान

गोविन्द सिंह अधिकारी
ग्राम पंचायत फिरोली


प्रकाश सिंह
ग्राम पंचायत फिरोली
2630/10


राज सिंह
ग्राम पंचायत फिरोली

परियोजना का नाम :-

जनपद डालगेश में पीपल कोला रणकुना गोहाकी
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रणकुना

तहसील डालगेश जिला राजसूरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद डालगेश के अन्तर्गत डालगेश परियोजना के निर्माण हेतु (

हे० आरक्षित वन भूमि — हे० सिविल सौयम भूमि 0.405 हे० वन पंचायत भूमि 3.780 हे० अर्थात् कुल 4.185

हे० वन भूमि का लो-निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रणकुना द्वारा दिनांक 17.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। वह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के धाकिलानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कच्चा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। तपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कच्चा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रणकुना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कोला रणकुना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान / सम्प्रभु
मुहर सहित

जम्बुली देवी
ग्राम प्रधान
विभागी

प्रमाणित

ग्राम पंचायत रणकुना
डालगेश-राजसूरी

प्रधान

गोविन्द सिंह अधिकारी
ग्राम पंचायत रणकुना

पुरोहित
सहपंच

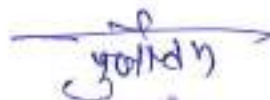
कोला रणकुना

दिनांक 17.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत रणकुना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	हृषाट सिंह	हृषाट सिंह
(2)	जेधाल सिंह	जेधाल सिंह
(3)	डीरा सिंह	डीरा सिंह
4	गोविन्द सिंह	गोविन्द
(5)	गंगा नाथ	गंगा नाथ
(6)	लाल सिंह	लाल सिंह

ग्राम प्रधान / सचिव


प्रधान
गोविन्द सिंह अधिकारी
ग्राम पंचायत परिषद


प्रधान
सचिव
गंगा नाथ (सचिव), 20/2/15
गंगा नाथ


प्रधान
गोविन्द सिंह अधिकारी
ग्राम पंचायत परिषद

परियोजना का नाम

लगातार अल्मोडा में पीपना कोला - रणकुना रोड मार्ग के निर्माण हेतु

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कोट कुमहार

तहसील सलत जिला कन्नौज

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद कन्नौज के अन्तर्गत पीपना कोला - रणकुना रोड परियोजना के निर्माण हेतु (..... हे० आरक्षित वन भूमि हे० सिविल सांख्य भूमि 0.405 हे० वन पंचायत भूमि 3.780 हे०) अर्थात् कुल 4.185 हे० वन भूमि का जो. निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोट कुमहार द्वारा दिनांक 20.2.15 को सम्पूर्ण ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कच्चा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कच्चा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोट कुमहार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोज्य एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिव्य जलने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

जसुकी देवी
ग्राम प्रधान
विनोदी

प्रधान

गोविन्द सिंह अति
ग्राम पंचायत विभाग

ग्राम प्रधान / सरपंच
गुजर सिंह

पुष्पलता
सचिव

बनपत्र संख्या: 1/उत्तराखण्ड/वन/2015

कोट कुमहार

विभागाध्यक्ष

ग्राम पंचायत रणकुना
कन्नौज - 208001

दिनांक २०.२.१९ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कोट जीमाट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	कृष्णमखिह	कृष्णमखिह
(2)	भगत सिंह	भगत सिंह
(3)	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
(4)	गोमती देवी	गोमती देवी
(5)	मीठी देवी	मीठी देवी
(6)	गंगा देवी	गंगा देवी

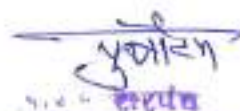
ग्राम प्रधान / सरपंच


प्रधान

गोविन्द सिंह अधिका
ग्राम पंच पटियावाड़ा दिनांक २०/२/१९


प्रधान

ग्राम पंचायत कोट जीमाट
दिनांक २०/२/१९


सरपंच

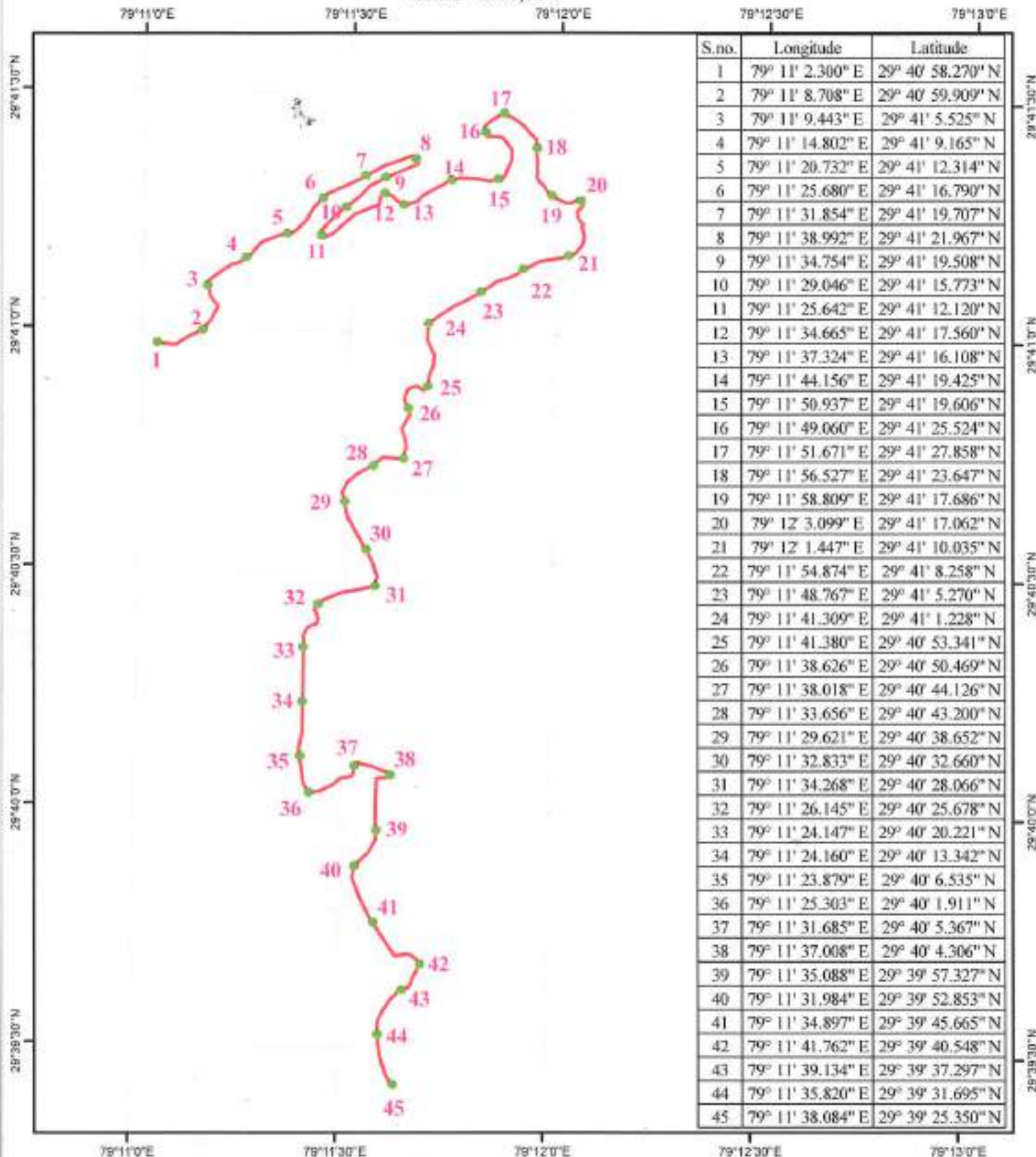
ग्राम पंचायत कोट जीमाट

कोट जीमाट

जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पीपलकोना –रणकुना-मोहाली
मोटर मार्ग का 60 मीटर विस्तार के सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.2 0.4 0.8
Km

Scale - 1:20,000



Legend

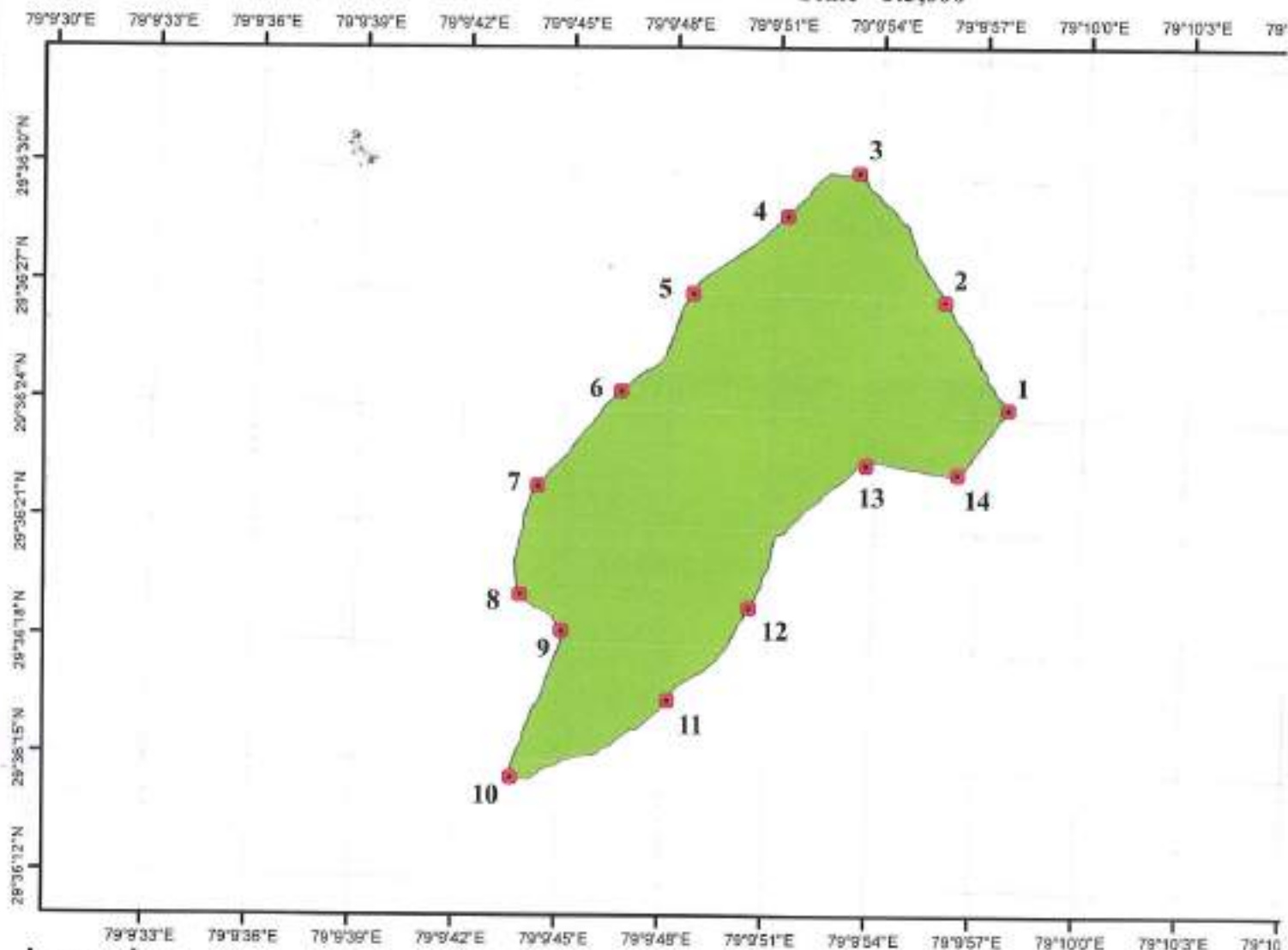
- MRoad Gps Point
- Proposed Road

Handwritten signature/initials

जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत पीपलकोना –रणकुना-मोहाली मोटर मार्ग व
सेतु सहित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल-

0 0.25 0.5 1.0 Km

Scale - 1:5,000



Legend



CA GPS



CA Land 8.370 Ha.

Handwritten signature

Handwritten signature